

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE



योजना आर विकास
के
दसवर्ष
राजस्थान

आर्थिक एवं सांस्कृतिकी संचालनार्थी
राजस्थान, जयपुर

इतनाही नहीं, भूमि सुधार से विस्थापित जातीरकारों को जार्य पर जागर के लिये राज्य सरकार ने योग्यताएँ क्रियाशिकत की है। जाह्मड़ा बोजना से तिचित होने वाले क्षेत्र में इन खोगों को रियायती दरों पर जेती रातने के लिये भूमि दी गई है। राजस्थान नहर के क्षेत्र में भी रियायती दरों पर भूमि भी जार्यगी। विस्थापित जातीरकारों से जारीत की जीर्णत दिना व्याप के और आसान किसीं में बसूल की जाएगी। इन्हें जेती के मोजार बरोबर, तुरं बनवाने और रहने के लिये महात इतवाने के लिये भासात जाती पर तकादी देने का भी अन्दोबस्त किया गया है।

पहली योजना में राजस्थान के लिये राजद्वय बोजनाओं और कैन्ट हारा संचालित योजनाओं पर व्यय के लिये १५.५० करोड़ रुपये की जन राशि निर्दिष्ट की गई थी। दूसरी योजना में इन सबके लिये ११३.५० करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर के लिये १५ करोड़ रुपये हड्डीकार किये गए। पहली योजना में ५४.१४ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में १२३.७३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सिंचाई की सुविधाएँ, कई लोडे, अध्ययन और एड़े तिचाई के दार्ये संवर्धित करके बढ़ा दी गई हैं। उच्चवर्षण जहां पहले १९५१-५२ में १४.८८ काल एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी उहां सन् १९५५-५६ में १३.३५ काल एकड़ में और सन् १९५८-५९ में ३५.४३ लाख एकड़ भूमि में तिचाई होने लगी। खेनी का रक्का भी इस अवधि में बढ़ा है। सन् १९५५-५६ में उह २८५.०३ साल एकड़ वा दो बड़ कर सन् १९५८-५९ में १११.०४ काल एकड़ हो गया। भूमि सुधार, सिंचाई और जेती के उन्नत तरीके अपनाने के उच्चवर्षण राजस्थान जो कुछ काल पहले तक "जलाव जोड़" जा, जब न केवल यात्राओं ते आत्मविसर्ग हो गया है बल्कि यात्राओं का निर्माण भी करने लगा है। राजस्थान में यात्राओं के उत्पादन के आकड़ों के अन्दर जैविक बहता और घटता रहता है; ताहीं तो यह होगा कि यार काल के उत्पादन के औसतों का अवधयन किया जाए। सन् १९५२-५३ के काल में अब का औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन था। १९५७-५८ काल का औसत ४५.५२ लाख टन जाता है। राजस्थान में जाह्मड़ा, जम्बूल और राजस्थान नहर से यानी किसने पर आकामी करों में बंदीकार और

मी दृष्टिगोपी और तब राजस्थान न केवल देश की ही जाति समस्या को सुलझाने में ही धोग दे सकेगा। बरन् राज्य में चलने वाले उद्योग घर्षों में उपयोग होने वाली अस्तुएं भी पैदा कर सकेगा। राजस्थान नहर देश की जाति होगी। यह दुनियाँ में अपने किसी की सबसे लम्बी नहर होगी। हरीके से रामगढ़ तक मुख्य नहर की लम्बाई ४२५ किलो होगी। इस नहर से कुल ८० लाख एकड़ भूमि को जाम होगा जिसमें से ६७ लाख एकड़ में बेती हो सकेगी।

राज्य को अर्थ-व्यवस्था में पश्चात्यात्मन कर वडा महत्व है अतः पश्चात्यन को विकासित करने की दिशा में विजेता दबम लड़ाये गये। यथा चिकित्सालयों की संख्या को सन् १९५०-५१ में ५७ दी जा नहर १९६०-६१ में १०७ हो गई। इसी काल में औद्योगिकों की संख्या ८८ से १४८ हुई और अस्तित औद्योगिकों की संख्या २ दी जा नहर ११ हो गई।

३१ मार्च सन् १९६१ को राजस्थान में १६० सामुदायिक विकास अध्ययन पर्यावाहकी राज्य व्यवस्था छारे राजस्थान में जारी थी। सामुदायिक विकास अध्ययन पूर्ण राज्य में अन्वेषण, १९६१ तक बन जायेगे।

शिक्षा के खेत्र में आजातीत उन्नति हुई है। अभी हाल की अमरपत्रन के अनुसार यहाँ लघु १४.६६ प्रतिशत जनता शिक्षित है जब दि सन् १९५१ में ८.१५ प्रतिशत ही थी। कुछ श्रेष्ठों में विकास का स्तर, अधिक भारतीय शोमतों के मुकाबले भी कम हो सकता है, किन्तु यह सभी जातें हैं कि राजस्थान में ज्ञान के विभिन्न श्रेष्ठों में हुई प्रगति अपाहनोप है। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की उम्र के १४.८ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष की आयु के ५ प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष की आयु के १.७ प्रतिशत विद्यार्थी हालांकि नैं जाते थे, सन् १९६०-६१ में पह अनुशासन फलांग ४५.७, १३.१ और ७.३ प्रतिशत हो गया। लड़कियों के लिये दिशा एम ए. सक निश्चिक है। यो विद्यार्थी बोहं या विश्वविद्यालयों हारा भी गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हैं और जिनके अभिभावकों की जामदानी २५.० वर्ष माह से कम है उनको छाप्रवृत्ति देने की योक्ता चाहूँ कर दी गई है। योग्यता एवं अवधारणा के बाहर पर बहुत पारी और भी छाप्रवृत्तियाँ भी जाती हैं। योग्य विद्यार्थियों को देश की दफड़ी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिये छाप्रवृत्ति प्रदान करने के लिये एक छाप्रवृत्ति कमीशन बनाने की घोषिता

राष्ट्रप सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहित करने की ओज़हबी नीति के कारण एवं अद्युत श्री जमीन, नल, विद्युत् आदि की सुविधाएँ और विकी कर और इन्होंनी की रिपायने देने की योग्यता के कारण अद्युत से उद्योगपतियों का ध्यान राजस्थान की ओर धार्कित हुआ है। विभिन्न प्रकार की बस्तुएँ जहाने के लिये सन् १९५७ से इण्डस्ट्रीज (इकलौपमेंट एवं रेलवेज) एक, १९५१ के अस्तरेत भारत सरकार द्वारा ५१ नए कारखानों के लिये लाइसेंस दिये गए चूके हैं जिनमें से नीचे लिखे हुए छुट दस्तऐवजीय हैं—

- (१) फर्टीलाइजर फैक्ट्री, हनुमानगढ़ (Fertilizer factory, Hanumangarh)
- (२) निर्मल स्मेल्टर प्लाण्ट, उदयपुर (Zinc Smelter Plant, Udaipur)
- (३) नाईलॉन फैक्ट्री, कोटा (Nylon factory, Kota)
- (४) कैलशियम कारबाइड, पी. बी. सी. और कास्टिक चोड़ा न्याय, कोटा (The Calcium Carbide, P.V.C. and Caustic Soda Plant at Kota)
- (५) रेयन टायर कोर्ड प्लाण्ट, कोटा (The Rayon Tyre Cord Plant at Kota)
- (६) सीमेंट फैक्ट्री, चित्तोडगढ़ (The Cement Factory, Chittorgarh)

आदि के कारखाने से सन् १९६५ तक उत्पादन होने की घटावता है। यहसे का जारखाना भी सन् १९५४ तक चालू हो जावेगा। नाईलॉन की फैक्ट्री यह चुकी है जिसमें जगभग मार्च १९६२ तक पूरे तौर से कार्य प्रारम्भ हो जाने की समावना है।

इसके अतिरिक्त तीन गई मिलें किशनगढ़, भीमधारा, एवं भजानीबाई में बन रही हैं। इसके अतिरिक्त एक टंकसदाईल मिल के विजयनगर में खोलने के लिये भी हाल में ही भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

कुछ भाव बड़ी यिन्हें जिसके लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं, आगामी दो वर्षों में जारी की जावेगी, जितका अधीरा निम्नलिखित हैः—

- (१) दि साइंटिफिक एवं त्रिभक्त इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर्म्यू, अजमेर
(The Sciontific and Surgical Instruments Factory at Ajmer)
- (२) बूलन मिल्स, जयपुर एवं जोधपुर
(Woollen Mills at Jaipur and Jodhpur)
- (३) ओक्सीजन एवं एथीटीलीन बेसेज मेन्युफॉर्मिंग प्लाट, जयपुर
(Oxygen and Acetylene Gases Manufacturing Plant at Jaipur)
- (४) बूल टॉप्स एवं बूलन फॉल्स फॉर्म्यू, कोटा
(Wool Tops and Woollen Felts Factory at Kota)
- (५) एक्स्ट्रूजन प्रेस, कोटा
(Extrusion Press at Kota)
- (६) चिप बोर्ड प्लाट, बांसवाड़ा
(Chip Board Plant at Banswara)
- (७) स्ट्राउ बोर्ड प्लाट, कोटा
(Straw Board Plant at Kota)
- (८) फ्रेक्शनल एच. पी. मोटर्स मेन्युफॉर्मिंग इण्डस्ट्री, धोलपुर
Fractional H. P. Motors Manufacturing Industry at Dholpur)
- (९) इलेक्ट्रिकल पोर्सिलिन इन्सुलेटर प्लाट, जयपुर और कोटा
(Electrical Porcelain Insulator Plant at Jaipur and Kota)

(१०) इलेक्ट्रिकल केबल फॉर्म्सींग, कोटा (Electrical Cable Factories at Kota)

(११) पेपर मिल, जयपुर (Paper Mill at Jaipur)

(१२) ग्लास वूल एवं ग्लास फाइबर फॉर्म्सींग, जयपुर (Glass Wool and Glass fibre factory at Jaipur)

(१३) रोलर फ्लौर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर (Roller Flour mills at Jodhpur, Pali and Udaipur)

उदयपुर में एक कीड़े मारने की दशा बढ़ाने का कारबाहा चालू किया जा चका है।

इसके अतिरिक्त, नेशनल इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग इन्स्ट्रील, जयपुर; मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर और उदयपुर में हाल एवं इलेक्ट्रिकल संसाधनों को नई वस्तुएं बढ़ाने के लिये, उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। इन कारबाहों में रोलर विभारिंग एक्षिसल बॉर्डसेल, ताइकिटों के छर्रे, हाई टेन्शन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफोर्मर आदि और एस. जार, और एस्प्रूमिनियर के कम्पनीटर आदि नई वस्तुएं बढ़ायेंगी।

सार्वजनिक होत्र में भारत सरकार ने जल की सहायता से एक ब्रेसिलन इलेक्ट्रो-गेंट्रस फॉर्म्सींग (Precision Instruments factory) कोटा में खोलने का निश्चय किया है। एक ताबा पिघलाने का कारबाहा भी सरकारी होत्र में खेतड़ी में खोला जा रहा है। भारत सरकार डीडकाना में शोटियन-सलफेट बढ़ाने के लिये भी एक पायलेट प्लाण्ट (Pilot Plant) लगा रही है।

राज्य सरकार ने भी ५४ उद्योगपतियों को नए लाइसेंस देने और ३० उद्योग-पतियों को उत्पादन कामता बढ़ाने के लिये लाइसेंस देने की विचारिश कर दी है कुछ मुश्य मिलों के नाम, जिनके लिये चिह्नादारी की गई है, इस प्रकार है :

(१) पिग आईरन प्लाण्ट, उदयपुर (Pig Iron Plant at Udaipur)

- (२) नीमकाथाना सीमेंट फैब्रो, नीमकाथाना (Cement factory at Neemka-thana)
- (३) स्कूटर्स/मोपेड्स फैब्रो, जोधपुर (Scooters/Mopeds factory at Jodhpur)
- (४) ओटो मोबाइल टायर्स एंड ट्यूब्स फैब्रो, कोटा (Automobiles Tyres and Tubes Factory at Kota)
- (५) साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स फैब्रो, कोटा और जयपुर (Cycle Tyres and Tubes Factories at Kota and Jaipur)
- (६) ब्लीचिंग डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग प्लाष्ट फौर कॉटन टेक्सटाइल्स, कोटा (Bleaching, Dyeing, Finishing, Printing and Processing plant for cotton Textiles at Kota)
- (७) रेलविसवल ट्यूब्स, प्रेसिशन रिवेदा डाईकास्टिंग संनुफेरवर्तीय फैब्रो, जयपुर (Flexible Tubes, Precision rivets Die castings, etc., Manufacturing factory at Jaipur)
- (८) विभिन्न स्थानों पर दस कॉटन स्पिनिंग मिल्स। (Ten new Cotton Spinning Mills at different places)
- (९) ह. टी. एंड एल. टी. प्रोसिलिन इन्सुलेटर्स फैब्रो, कोटा (H. T. & L.T. Porcelain Insulators factory at Kota)
- (१०) बिस्टम वाल बोर्ड्स, बिस्टम घाल प्लास्टर्स संनुफेरवर्तीय इण्डस्ट्री, बीकानेर (Gypsum Wall Boards, Gypsum Wall Plasters, etc., Manufacturing Industry at Bikaner)

- (११) माइक्रो कैपेसिटर्स एवं पेपर कैपेसिटर्स इण्डस्ट्री, जयपुर
 (Mica Capacitors and Paper Capacitors Industry at Jaipur)
- (१२) टेक्सी मीटर्स एवं स्पेर पार्ट्स फॉर्म्यूलर, जयपुर
 (Taxi Meters and Spare Parts Factory at Jaipur)
- (१३) ट्रांसपोर्टिंग इन्डिस्ट्रीज इण्डस्ट्री, कोटा
 (Transporting Equipments Industry at Kota)
- (१४) पेपर एवं बोर्ड फॉर्म्यूलर, भीलवारा
 (Paper and Boards Factory at Bhilwara)
- (१५) स्टील कॉस्टिंग्स इण्डस्ट्री, भरतपुर
 (Steel Castings Industry at Bharatpur)
- (१६) ग्रे सो. लाई. कॉस्टिंग्स, सी. लाई. एलोएज़ आदि, रामगंज मण्डी
 (Grey C.I. Castings, C.I. Alloys etc. at Ramganj Mandi)
- (१७) स्टीटाइट पोर्सेलिन पार्ट्स, टेक्सिलैटील तिरेमिस्स, पी. एच ए.
 इन्सुलेटर्स यादि, कोटा
 (Steatite Porcelain parts, Textile Ceramics, P. & T. Insulators etc. at Kota)
- (१८) लेमिनेटेड प्लास्टिक्स एवं फॉर्मिका शीट्स इण्डस्ट्री, कोटा
 (Laminated Plastics and Formica Sheets Industry at Kota)

(१९) रोडेंटिसाइड मैन्युफॉर्मिंग यूनिट, कोटा
(Rodenticide manufacturing unit at Kota)

और

(२०) हाउस सर्विस इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, जयपुर
(House Service Electricity Motors + Jai-pur)

झंपर लिखी हुई दस नई सूती मिलों के खोलने की और कुछ बालू टेक्स-
दाइल मिलों से उत्पादन शायित बढ़ाने के लिये स्थीकृत निकट भविष्य में ही
होने की संभावना है।

निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार उन उद्योगपतियों को लो कि नए कारबाने
खोल कर राज्य की मदद करना चाहते हैं, सभ प्रकार की सुविधाएं उत्पाद रखें।
राज्य सरकार उन्हें उचित दरों पर पर्याप्त विभाग देने को गुणिताएं, जमीन
दिलाने की सहायिता, एवं दिशी-कर और चुंबी-कर आदि में छूट देने का भरसक
प्रयत्न करें। राज्य सरकार निजी क्षेत्र को इस दिवस में जविक से
सह्योग देने का उत्पाद दिलाती है।

सन्निज्ञ उत्पादन जो १९५२ में ३०४ लाख रु० का हुआ,
वड कर १९५१ में ४६२ लाख रु० का हो गया।
पहाना (बीकानेर ज़िला) में सिगनाइट, और मोड़ी को पाठ
(जूनपुर ज़िला) में पलोराइट का उनिम कार्य हाथ में से सियागया है।
नावर साव पर एक जहाज विभाने की मशीन खाना दी गई है और सोतड़ी चे
तावा पिघलाने की नमी लगाने की योजना है।

राजस्थान में प्रथम योजना के अन्त में कुल राज्य की आय ४०८ करोड़ रु०
गयी गई। १९६० के अन्त तक यह बढ़ कर, १९५४-५५ के भावो पर, ४६१
करोड़ रु० हो गई, अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ३.३ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जब कि
इसी काल में अस्ति भारतीय औसत बढ़ोत्तरी ३.१ प्रतिशत थी। राज्य में
प्रति वर्षित आय १९५५-५६ में २३७ रु० थी जो बड़ कर १९५४-५५ के भावों

पर १९५९-६० में २४६ रु हो गई। १९६०-६१ के मार्च के माध्यार पर प्रति व्यक्ति बालदानी १९५९-६० के शब्द में ३१५ रु जांकी गई है।

रोजगारी संबंधी अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि द्वितीय योजना काल में राजस्थान में ३.७७ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

विभिन्न विकास कार्यों को गुच्छाह रूप से प्रसारने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित कर्मचारी उचित संख्या में प्राप्त होते रहे। राज्य सरकार ने प्रश्नेह क्षेत्र में जन शक्ति संबंधी अध्ययन किये हैं। यद्य इनके वायार दर कार्य किया जायगा ताकि योजना को क्रियान्वित करने में सही कालम के कर्मचारी उचित संख्या में न मिलने के कारण कोई वाया उपस्थित न हो। राज्य सरकार ने राज्य सेवार्थों के लिये द्रुतिग्राम से सम्बंधित बातों पर विचरण के लिये एक कमेटी बैठाई थी। इत कमेटी को सिकारियों के वायार पर द्रुतिग्राम बनाए जा रहे हैं। तकनीकी अधिकारियों को बिंदेश में विदेशी अध्ययन के सिवे भेजने की एक विशिष्ट योजना है। इस शब्द में राज्य विभिन्न विदेशी सहायता योजनाओं द्वारा मिलने वाली सहायता का भी लाभ उठा रहा है।

इस प्रकार योजना के प्रयत्न इस वर्ते राजस्थान में राज्य की उन्नति और समृद्धि के बार्ग में निर्माणकारी पुग रहा। योजना के आने वाले इस वर्षों में हमें शारिक और सामाजिक उन्नति के लिये उच्चतररों पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए भार पहन करने होंगे। राजस्थान के तेजी से विकास करने के लिये यह स्थिति स्वाभाविक ही है भीर हमें इसका बहुमुरी से सामना करना पड़ेगा। अब तक किये गये, य भविष्य में किये जाने वाले प्रयास चौथी पदवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में व उसके बाद आने वाले वर्षों में ही हमारे राज्य की जगता के एन सहन के स्तर व समृद्धि में तेज गति से अहर ढाल सकेंगे। भालड़ा, चम्बल, राजस्थान नहर व बड़ी और सध्यम सिवाई योजनाओं द्वारा प्राप्त सिचाई के कारण राजस्थान में तनुद्विताली कृषि के लिये बड़ा उत्तरवाल भविष्य है। लपु सिचाई के १५६ कार्यक्रमों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को सिचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। भालड़ा नांगल व चम्बल की पहली और दूसरी हड्डेव की समाप्ति पर राज्य में औद्योगिक और खनिक सम्बंधी विकास के लिये

असाधु पूर्ण जाये कले का अवश्यक शब्द है। यह प्राकृत संस्कृती शब्दोंमें
हारा गाँय के मार्गिक विकास में संतुला प्राप्त हो सकता है। वंचादती राज्य
की प्राप्ति के बाधार एवं यह कहा जा सकता है कि इसका ऐसा सामाजिक सुरक्षणालौ
की प्राप्ति के लिये सर्व भवित्व ऐसी विकासित रहा कि उन्होंने

पासी नौब ढाल दी गई है और अब इस विकास और राहा से उत्तमता
और समर्दिशालौ भवित्व की साथा कर सकते हैं।

इतनाही नहीं, भूमि मुद्दार से विस्थापित जागीरदारों को जायें पर जगान के लिये राज्य सरकार ने योजनाएँ कियायित की हैं। भाष्टड़ा योजना से लिदित होने वाले क्षेत्र में इन छोगों को रियायती दरों पर बेतों करने के लिये भूमि दी गई है। राजस्थान नहर के खेत में भी रियायती दरों पर भूमि भी आयेगी। विस्थापित जागीरदारों से जनोन को कोमत दिना व्याप के और आसान किश्तों में बमुल की जायेगी। इन्हें बेतों के मोद्दार चरीबने, कुरं बनवाने और रहने के लिये जकान दबदाने के लिये भाष्टड़ा जातों पर तकादी देने का भी बन्दोबस्त किया गया है।

पहली योजना में राजस्थान के लिये राजस्थान योजनाओं और ऐन द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय के लिये ५५.५० करोड़ रुपये की राजस्थान निवारीएन की गई थी। दूसरी योजना में इन सबके लिये १११.१० करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर के लिये १५ करोड़ रुपये दीक्षात लिये गए। पहली योजना में ५४.१४ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में १२३.७३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सिंचाई की सुविधाएँ, कई लोडे, मध्यम और घड़े सिंचाई के दायें संवाहित करके बढ़ा दी गई हैं। एकस्वरूप यहाँ पहले १९५१-५२ में १४८८ काल एकड़ भूमि में नियाई होती थी यहाँ सन् १९५५-५६ में १३.१५ काल एकड़ में और सन् १९५८-५९ में ३५.७१ लाख एकड़ भूमि के नियाई होने लगी। खेतों का रकबा भी इस अवधि में बढ़ा है। सन् १९५५-५६ में यह २८५.०३ लाख एकड़ जा रो बढ़ कर सन् १९५८-५९ में ३११.०४ काल एकड़ हो गया। भूमि मुद्दार, नियाई और खेतों के उन्नत तरीके अपनाने के पश्चस्वरूप राजस्थान जो कुछ काल पहले तक "जाताव लेव" था, वह न केवल याहाज ने भास्तविमें रही राया है बल्कि याहाज का नियर्त भी करने लगा है। राजस्थान में याहाज के उत्पादन के भाकडों के अवधान के बाल होता है कि उत्पादन पर्याप्त जीवनियमितता के कारण प्रतिवर्ष बहुत अधिक बढ़ता और बढ़ता रहता है। तभी तो यह होगा कि आर बाल के उत्पादन के ओसतों का अध्ययन किया जाय। सन् १९५२-५३ के काल में भाल का ओसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन था। १९५७-५८ काल का ओसत ४५.५२ लाख टन जाता है। राजस्थान में भाष्टड़ा, अम्बल और राजस्थान नहर से पानी विस्ते पर आनामी बचों में बेदाहार और

भी दृष्टिगती और तब राजस्थान न केवल देश की ही स्थायी समस्या को सुलझाने में ही योग दे सकेगा बल्कि राज्य में चलने वाले उद्घोग भविंश्च में उपयोग होने वाली रहस्याएं भी पैदा कर सकेगा। राजस्थान नहर देश की शान होगी। यह दुनियाँ में अपने किसी की सबसे लम्बी नहर होगी। हरीके से रामगढ़ तक मुख्य नहर की लम्बाई ४२५ मील होगी। इस नहर से कुल ८० साल एकड़ भूमि को जाम होगा। जिसमें से ६७ लाख एकड़ में भेती हो सकेगी।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का बड़ा महत्व है अतः पशुधन को विकासित करने की दिशा में विदेश दृष्टि छाये गये। यद्युचिकित्साकर्त्तों की संख्या सन् १९५०-५१ में ५७ थी जहाँ कर १९६०-६१ में १०७ हो गई। इसी काल में औद्योगिकों की संख्या ८८ से १४८ हुई जीर जलित औद्योगिकों की संख्या २ से यह कर ११ हो गई।

३१ मार्च सन् १९६१ को राजस्थान में १६० सामुदायिक विकास अण्डे और पंचायती राज्य व्यवस्था आरे राजस्थान में आये थी। सामुदायिक विकास अण्डे संपूर्ण राज्य में लगभग, १९६३ तक वाम जायेंगे।

शिक्षा के सेत्र में आशातीत उभति हुई है। अभी हाल की खगोलिका के अनुसार पर्याप्त वाव १४.६१ प्रतिशत अन्तता शिक्षित है जब तक सन् १९५१ में ८.१५ प्रतिशत हो भी। कुछ छोटों में विकास का स्तर, असिल भारतीय औसतों के मुकाबले में कम हो सकता है, किन्तु यह सभी जानते हैं कि राजस्थान में जिक्षा के विभिन्न लोगों में हुई प्रगति पराहनीय है। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की उम्र के १४.८ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष की आयु के ५ प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष की आयु के १.७ प्रतिशत विद्यार्थी लड़कों में जाते थे, सन् १९६०-६१ में यह अनुपात फलांग ४५.७, १३.९ और ७.३ प्रतिशत हो गया। लड़कियों के लिये शिक्षा एम. ए. सक निश्चल है। यो विद्यार्थी बोहं या विश्वविद्यालयों द्वारा भी गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं और जिनके अभिभावकों की जामदग्नी २५० वर्ष भाव से कम है उनको छात्रवृत्ति देने की योजना बास्तु कर दी गई है। योग्यता एवं व्याकरणका के बाबार पर बहुत मार्ही और भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। योग्य विद्यार्थियों को देश की वर्ज्ञा से अवृद्धि जिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये एक छात्रवृत्ति कमीशन घरांते ही योग्यता

भी सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार ने देश के अहिन्दी भाषी भेंतों में पढ़ने वाने वाले राजस्वानी विद्यार्थियों को और अहिन्दी भाषी भेंतों के उन विद्यार्थियों को जो राजस्वान में पढ़ने के लिये और राज्य सरकारे भेंते, छात्रवृत्ति देने की एक नई स्कीम भी निराली है। यह बाता की आती है कि अग्र राज्य भी इस प्रकार की योजनाएं लागू करेंगे। देश का भावनात्मक एकोफरण फरने की दिशा में भी पह एक सुहृद कदम होगा। अव्यापकों और प्रास्याताओं को वेतन अू खसाओं में भी सुधार किया गया है। सक्षमीपूर्ण शिक्षा में अति खावश्यकता समझ कर तत्परता के साथ जटित की गई है। राज्य में विजित और योग्य व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिये इच्छीनियरिंग कालेज, मंडीकल कालेज, पोलोटेक्नोक और बौद्धोगिक प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक स्कॉल खोले गये।

सन् १९५९ में ही राजस्वान में, प्रति माह व्यक्तियों पर प्राप्य चिकित्सा सुविधाएं, अस्त्रिल भारतीय रूपर पर १९६०-६१ ने राज्य होने वाली शुद्धियाँ में समान अनुचालों से अधिक हो चुके थे, जैसा कि निम्न तालिका से दर्शक होगा:—

(प्रति माह व्यक्ति)			
	भारत (१९६०-६१)	राजस्वान (१९५९)	
१. चिकित्सालय एवं बीमालय (एकोपेंसिल)	२.९	३.४	
२. रोगी घंगा (एकोपेंसिल)	..	३६.०	४०.९

राज्यों के एकोफरण के समय सहकारी व्यापोलन दुष्ट ही स्थानों पर चालू था। यह आवश्यकता भारत सरकार की नीति के बाहर पर थोर-थोरे और बहता ही बेपछा से बाया गया। सहकारी संस्थाओं द्वारा संस्था सन् १९५१-५२ में ४९०८ थी। १९५५-५६ में यह ८०७७ हो गई और १९६०-६१ में १७१७४। यन् १९५१-५२ में प्राकोष जनना का १.५ प्रतिशत सहकारिता से ज्ञानाधिक होता था। १९५५-५६ में ५ प्रतिशत और १९६०-६१ में यह प्रतिशत बढ़ कर १५ हो गया।

पहले जिलों के मुख्यालय भी यहको सड़कों से सम्बद्ध नहीं थे। योजना के इन दस पवरों में कई नई सड़कें बनीं और यद्य सगमग सभी तहसील मुख्यालय राहड़ों से सम्बद्ध हो गए हैं। राज्य में सड़कों की सम्माइ सन् १९५०-५१ में १३,४७२ मील भी और यह बढ़ कर सन् १९५५-५६ में १५,१८८ मील रुपया सन् १९५०-५१ में १६,७४४ मील हो गई।

सन् १९५१ में राजस्थान में केवल ३२ दिल्लीपर थे, सन् १९६० में इनकी संख्या बढ़ कर ५४ हो गई। प्रति वर्षित शिक्षणी का उत्पादन सन् १९५१ में ३.२९ किलोवाट घटे पा औ बढ़ कर सन् १९६० में ५.४३ किलोवाट घटे हो गया। योजना के आरंभ में विद्युती की कुल स्थापित क्षमता ३४,९०० किलोवाट भी औ यह कर हितीय योजना के अन्त में १,०८,९९२ किलोवाट हो गई और तुनीय योजना काल के अन्त में यह कर संभवतः ३,३४,४०० किलोवाट हो जायेगी। इसी १३१ शहर के गांवों में शिक्षणी पहुंचाई जा चुकी है और निकट प्रदिव्य में भालहा और अम्बल योजनाओं द्वारा और भी स्थानों पर शिक्षणी पहुंचाई जायेगी।

राजस्थान में काले बाल और सनिधि पदार्थों की कमी नहीं है। किर भी पहाँ अब तक जिलों, यातायात के साधन और कुशल कारोगारों की कमी के कारण उद्योग को प्रशंसित नहीं हो पाई थी। अब जल और दिल्ली की सुविधाएं दहा दी गई हैं। यातायात के साधन विकसित हो चुके हैं और व्याविधि सहायता का प्रावधान किया जा चुका है। तकनीयी शिक्षा का भी एन्डोइस्ट कर दिया गया है। उद्योगपतियों को राष्ट्र और से द्वारा रियायते देने का भी नियन्त्रण कर दिया गया है। हल्कला और कुड़ीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फलतः राज्य ये अब आगे तेजी से ओद्योगिक प्रगति की सुवृद्धि नींव देने चुकी है। राजस्थान वित्तीय नियम, ऐन्डोयी सहकारी बँड़, राजस्थान रायु उद्योग निगम से जूँ को और हरतकला विक्रय केन्द्रों से विक्रय की सुविधाएं प्रशास्त हुई हैं। पहले व्यानिधि के दोनों में, कर्तिष्य पूँजीयादियों द्वारा भगवान् एकार्तिष्यपरम्य पा, किन्तु मिनरल कम्पेनियन इस बनने के बावजूद से सावारण विवरित के व्यानिधियों को भी सनिधि व्यवसाय से लाभ छानने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

राष्ट्र सरकार की उद्योगों को प्रोत्तिहित करने की ओजस्वी नीति के कारण एवं बहुत धीर लमीन, लल, विष्टुत आदि की सुविधाएं और विक्षी कर और चुंगी की रियायतें देस की दौड़ना के कारण घृन में उद्योगपतियों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है। विभिन्न प्रकार की बस्तुएं बनाने के लिये सन् १९५७ से इण्डस्ट्रीज (ट्रैकेप्रोफ एवं रेग्सेशन) एस्ट, १९५१ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ५१ नए कारखानों के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिसमें से नीचे लिखे हुए कुछ दातेजातीय हैं—

- (१) फर्टीलाइजर फैक्ट्री, हनुमांगढ़ (Fertilizer factory, Hanumangarh)
- (२) निक स्मेल्टर प्लाट, उदयपुर (Zinc Smelter Plant, Udaipur)
- (३) नाईलोन फैक्ट्री, कोटा (Nylon factory, Kota)
- (४) कैल्शियम कारबाइड, पी. बी. सी. और कास्टिक लोड भार्ड, कोटा (The Calcium Carbide, P.V.C. and Caustic Soda Plant at Kota)
- (५) रेयन टायर कोर्ड प्लाट, कोटा (The Rayon Tyre Cord Plant at Kota)
- (६) सीमेंट फैक्ट्री, चित्तोडगढ़ (The Cement Factory, Chittorgarh)

आइ के कारखाने से मन् १९६५ तक उत्पादन होने की समाप्ति है। इससे पहले कारखाना भी सन् १९६४ तक चालू हो जायेगा। नाईलोन फैक्ट्री यह चुनी है जिसमें ज्वलन मार्ग १९६२ तक पूरे हो सके कार्य प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त तीन मई मिलें किशनगढ़, भीलवाडा, एवं भजनीमण्डी में बन रही हैं। इसके अतिरिक्त एक दंपत्तार्हाइल मिल के विजवलगर में ओलने के लिये भी हाल में ही भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

मुख भाष्य वही मिले कितके किये साइरेंस दिये जा चुके हैं, आपामी दो या तीन पर्सों में आलू की खावेगी, जिनका अदोरा निम्नलिखित हैः—

- (१) वि. साइटिफिक एवं तकिक इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर्म्यूट्री, अजमेर
(The Scientific and Surgical Instruments Factory at Ajmer)
- (२) चूलन मिल्स, जयपुर एवं जोधपुर
(Woollen Mills at Jaipur and Jodhpur)
- (३) ऑक्सीजन एवं एसीटीलीन बेसेल मैन्युफॅक्चरिंग फॉर्म्यूट्री, जयपुर
(Oxygen and Acetylene Gases Manufacturing Plant at Jaipur)
- (४) चूड टॉप्स एवं चूलन फैल्ट्स फॉर्म्यूट्री, कोटा
(Wool Tops and Woollen Felts Factory at Kota)
- (५) एक्स्ट्रूशन प्रेस, कोटा
(Extrusion Press at Kota)
- (६) चिप बोर्ड प्लाष्ट, बांसवाड़ा
(Chip Board Plant at Banswara)
- (७) स्ट्राउ बोर्ड प्लाष्ट, कोटा
(Straw Board Plant at Kota)
- (८) फ्रॅक्शनल एच. पी. मोटर्स मैन्युफॅक्चरिंग इण्डस्ट्री, धोलपुर
Fractional H P. Motors Manufacturing Industry at Dholpur)
- (९) इलेक्ट्रिकल पोर्सेलिन इंसुलेटर प्लाष्ट, जयपुर और कोटा
(Electrical Porcelain Insulator Plant at Jaipur and Kota)

(१०) इलेक्ट्रिकल केबल फैक्ट्रीज, कोटा (Electrical Cable Factories at Kota)

(११) पेपर मिल, जयपुर (Paper Mill at Jaipur)

(१२) ग्लास बूट और ग्लास फाइबर फैक्ट्री, जयपुर (Glass Wool and Glass fibre factory at Jaipur)

(१३) रोलर फ्लौर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर (Roller Flour mills at Jodhpur, Pali and Udaipur)

उदयपुर में एक लोडे बनाने की इच्छा विभाग द्वारा कारबाला चालू किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, नेशनल इंस्टीगेशन इन्डस्ट्रीज, जयपुर, माल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर और जयपुर मेहमान प्रवेश इंस्ट्रियल्स आदि घास कारबालों को नई बस्तुएँ बनाने के लिये, उत्पादन घरित बहाले के लिये लाईंगेंस रिपे यद्ये हैं। इन कारबालों में रोलर विर्टिंग एक्सिसल बॉलसेल, ताइकिंग के छरे, हाई टेन्शन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफोर्मर और ए. सी. एस. आर. और एस्प्रूमिनियम के कार्ट्रेटर आदि नई बस्तुएँ बनेंगी।

सार्वजनिक थोक में भारत सरकार ने स्ल की सहायता से एक प्रेसिस्ट इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्ट्री (Precision Instruments factory) कोटा में खोलने का निश्चय किया है। एक ताढ़ा विषयाने का कारबाला भी सरकारी थोक में खेतड़ी में खोला जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बनाने में रोटिंग-सल्केट बनाने के लिये भी एक पायलेट प्लाट (Pilot Plant) लगा रही है।

राज्य सरकार ने भी ५४ चदोगणियों को नए लाईंगेंस देने और ३० इंशोफ-पतियों को उत्पादन खमता बढ़ाने के लिये लाईंगेन देने की विकारिश कर दी है कुछ मुश्य मिलों के नाम, जिनके लिये सिफारिश की गई है, इस प्रकार हैं :

(१) पिंग लाईंग फ्लाट, उदयपुर (Pig Iron Plant at Udaipur)

(२) नीमकाथाना सीमेंट फैक्ट्री, नीमकाथाना (Cement factory at Neemka-thana)

(३) स्कूटर्स/मोपेड्स फैक्ट्री, जोधपुर (Scooters/Mopeds factory at Jodhpur)

(४) ऑटो मोबाइल्स टायर्स एवं ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा (Automobiles Tyres and Tubes Factory at Kota)

(५) साइकिल टायर्स एवं ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा और जयपुर (Cycle Tyres and Tubes Factories at Kota and Jaipur)

(६) सोर्बोग डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग एवं प्रोसेसिंग प्लाष्ट फौर कॉटन एंसेटाइल्स, कोटा (Bleaching, Dyeing, Finishing, Printing and Processing plant for cotton Textiles at Kota)

(७) फ्लेक्सिवल ट्यूब्स, प्रेसिंग रिवेट्स डाइकास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जयपुर (Flexible Tubes, Precision rivets Die castings, etc., Manufacturing factory at Jaipur)

(८) विभिन्न स्थानों पर दस कॉटन रिपनिंग मिल्स । (Ten new Cotton Spinning Mills at different places)

(९) ह. टी. एल. टी. प्रोसेसिल इन्सुलेटर्स फैक्ट्री, कोटा (H. T. & L.T. Porcelain Insulators factory at Kota)

(१०) बिकानेर वाल वोर्ड्स, बिकानेर थाल प्लास्टर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, बिकानेर

(Gypsum Wall Boards, Gypsum Wall Plasters, etc., Manufacturing Industry at Bikaner)

- (११) माइक्रो कैपेसिटर्स एण्ड पेपर कैपेसिटर्स इन्डस्ट्री, जयपुर
 (Mica Capacitors and Paper Capacitors Industry at Jaipur)
- (१२) टेक्सी मीटर्स एण्ड स्पैर पार्ट्स फॉर्म्यूलर, जयपुर
 (Taxi Meters and Spare Parts Factory at Jaipur)
- (१३) ट्रांसपोर्टिंग इशियरमेंट्स इन्डस्ट्री, कोटा
 (Transporting Equipments Industry at Kota)
- (१४) पेपर एण्ड बोर्ड फॉर्म्यूलर, भीलवाड़ा
 (Paper and Boards Factory at Bhilwara)
- (१५) स्टील कासिंग्स इन्डस्ट्री, भरतपुर
 (Steel Castings Industry at Bharatpur)
- (१६) पे. सो. आई. कासिंग्स, सो. आई. एलोएल आदि, रामगंज मण्डी
 (Grey C.I. Castings, C.I. Alloys etc. at Ramganj Mandi)
- (१७) स्टिटेटाइट पोर्सिलिन पार्ट्स, टेक्सिटाइल चिरेमिस्स, पी. एण्ड टी.
 इन्सुलेटर्स आदि, कोटा
 (Steatite Porcelain parts, Textile Ceramics, P. & T. Insulators etc. at Kota)
- (१८) लेमिनेइट प्लास्टिक्स एण्ड फॉर्मिका शीट्स इन्डस्ट्री, कोटा
 (Laminated Plastics and Formica Sheets Industry at Kota)

(१९) रोडेंटिसाइड मंत्रकंसर्वरील पूनिट, कोटा
(Rodenticide manufacturing unit at Kota)

ओर

(२०) हाउस सर्विस इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, जयपुर
(House Service Electricity Motors + Jai-pur)


झपर लिली द्वारे यह नई सूरो मिलों के खोलने की और कुछ चालू टेस्ट-डाइल मिलों को उत्पादन शिवित बढ़ाने के लिये स्वीकृति निकट भविष्य में ही होने की उम्मेदवाना है।

निली धोन में भी राज्य सरकार उन उद्योगपतियों को जो कि नए कारखाने खोल कर राज्य की मदद करना चाहते हैं, सभ प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी। राज्य सरकार उन्हें उचित दरों पर पर्याप्त वित्तीय देने की सुविधाएं, जमीन दिलाने की सहायिता, एवं विश्वी-फर और चुंबी-फर आदि में घूट देने का भरसक प्रश्न फरेगी। राज्य सरकार निली क्षेत्र को इस विषय में अधिक से सहमोग देने का उद्याप्त दिलाएंगी है।

सनित उत्पादन जो १९५२ में ३०४ लाख रु. का हुआ, यह कर १९५५ में ४६२ लाख रु. का हो गया। पलाना (बीकानेर जिला) में लियनाइट, और सांडो की पाल (झंगरपुर जिला) में लियोराइड का सनित कार्य हाथ में ले लिया गया है। जूदार यान पर एक बस्ता पिघलाने की मशीन लगा ही गई है और जोहड़ी चे तांदा पिघलाने की भी लगाने की योजना है।

राजस्थान में प्रथम योजना के अन्त में कुल राज्य की आय ४०८ करोड़ रु. लांकी गई। १९६० के अन्त तक यह बढ़ कर, १९५४-५५ के मात्रों पर, ४६१ करोड़ रु. हो गई, अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ३.३ प्रतिशत की वृद्धिस्तरी है, यद्यकि इसी काल में अधिक भारतीय औसत वडोजरी ३.१ प्रतिशत थी। राज्य में प्रति व्यक्ति आय १९५५-५६ में २३७ रु. ली जो बढ़ कर १९५४-५५ के मात्रों

ધાન્ય વર્ષીય યોગનાણ



योजनाएँ

८०५

जबकि देश के लाय राष्ट्रप्रदम पंचवर्षीय योजना के बनाने सौर क्रियान्वयन करने में लगे हुए थे, राजस्थान स्थिर शासन व्यवस्था कायम करने, वैतिक-दोकरण, कानून व शास्त्रीय व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करने में लगे हुए थे। अद्यम पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष की इन्हीं समस्याओं के मुलझाने में थे गए, केवल योजना के तीसरे वर्ष में ही राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये योजना-द्वारा कार्य प्रारम्भ किए गए। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना आपात योजना (Emergency Plan) थी।

राष्ट्र की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हमारे राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की मिली जुली तस्वीर सामने आई। द्वितीय योजना के दो मुख्य लक्ष्य थे—उत्पादन का बढ़ाना और रोक्कारी देना। इसके अतिरिक्त, आर्थिक परिस्थिति में विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाना और बिलेश्वर योजनाएँ बनाना इस योजना के विशेष लक्ष्य थे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में 'नीचे के स्तर से योजना' बनाने की दिशा में बास्तविक प्रारम्भ किया गया है। पंचापत समितियों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर मुद्दतया उपर लोक उन योजनाओं से समन्वित थे जो कि पंचापत समितियों को स्थानान्तरित कर दी गई हैं, विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और अन्त में उन्हें आर्थिक सामर्थ्यों की परिमिति के अनुसार तीसरी योजना में समिल कर लिया गया।

पहली पंचवर्षीय योजना में ₹४.५० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें ₹७.२१ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये थे। इस घन राशि में से ₹४.१४ करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसमें से ₹२.७४ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं द्वारा खर्च हुए। इस पक्षीर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल प्रावधान की गई राशि, ₹३.९४ प्रतिशत व्यय हुआ।

इसी योजना में, पहली योजना में रखी गई यन राशि के द्वाने से कुछ ही कम धन राशि का प्राप्तान किया गया। समस्त राज्य योजनाओं के लिये १०५.२७ करोड़ रुपये का प्राप्तान किया गया भी ८ केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये ७.३३ करोड़ रुपये की या राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त १५ करोड़ रुपये राजस्थान नहर योजना के लिये दिए गए। इन यन राशियों में से राज्य ने १०२.७४ करोड़ रुपये भवगा ९७.६० प्रतिशत राज्य की योजनाओं पर और ८.७८ करोड़ रुपये भवगा ११९.७८ प्रतिशत केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर लगवाये गए। १२.२१ करोड़ रुपये की यत राशि राजस्थान नहर पर लगवायी गई।

प्रयत्न य दूसरी योजनाओं की सरलताओं से ब्रोत्साहित होकर तीसरी योजना में सर्व प्री जाने वाली धन राशि बड़ा दी गई और कुल २३६.०० करोड़ रुपये का प्राप्तान किया गया। यिन्हें केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर लगवायी जाने वाली धन राशि शामिल नहीं है। इस प्रकार तीसरी योजना में लगवायी जाने वाली राशि दूसरी योजना की राशि से दुगनी से भी अधिक है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति तीसरी योजना में सर्व प्री जाने वाली राशि को देखने से पता चलता है कि लम्बू और कालांगोर को छोड़कर, राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना में लगवायी जाने वाली धन राशि सबसे अधिक है, जो कि १४७.५ रुपये है।

संलग्न तालिकाओं में राजस्थान सम्बन्धी सामान्य सांख्यिकीय सूचनाएं एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के निरूपण किये गए हैं।



तालिका में प्रयोग किए गये संकेतण

+ = पौष्टि परिचालन में नहीं।

.. = अंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

- = कुछ नहीं।

१. राजस्थान

१.१ राजस्थान एक हिटि में

विवरण	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१		
		१	२	३	४	५
१. जनसंख्या ^६	(लाख)	१५९.७	१७५.६	२०१.५		
२. धोने	(हंजार रुपये मील)	१३२	१३२	१३२		
३. कुल राजकीय आय	(लाख रुपये)	१५०४.५४	२६४३.२३	४५५०.८१		
४. कुल राजकीय चय्य	(लाख रुपये)	१४७९.५१	२५४५.६०	४६४४.३३		
५. योजना ध्यायी	(लाख रुपये)	—	५४१४.४३	१२३७२.८७		
६. साक्षरता ^७	(प्रतिशत)	८.९५	..	१४.६६		
७. विकास लंडों के अन्तर्गत जनसंख्या	(लाखों में)	६.७५	३४.७१	९६.८६		
८. पंचायत समि- तियाँ	(संख्या)	—	—	२३२		
९. ग्राम पञ्चायतें	(संख्या)	२४७५	३४९०	७३९४		
१०. बोया गया वास्तविक भेद प्रति व्यक्ति	(एकड़)	—	१.४४	१.७७	२.१३	

^६ आंकड़े लम्बाः सन् १९५१ १९५६ और १९६१ के हैं।^७ राजस्थान नहर और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएँ भी शामिल हैं।

१. सामान्य

११ राजस्थान एक दृष्टि में (अमरा)

विषय	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१		
		१	२	३	४	५
११. सिचित होते वास्तविक वोए गए क्षेत्र का प्रतिशत	(प्रतिशत)	१०.८१*	११.७८	११.४८**		
१२. कुल सड़के प्रति १००० वर्गमील	(मीलों में)	८६	१०६	१२७		
१३. पश्चीम सड़के प्रति १००० वर्गमील	(मीलों में)	२७	४१	६३		
१४. प्रति दसलाख व्यक्तियों पर चिकित्सालय एवं औषधालय (सल्ला)		४६	६०	९०		
१५. प्रति व्यक्ति शिक्षा परव्यय (रुपये)		१.७३*	२.७१	६.३६**		
१६. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय (रुपये)		०.९५*	१.९२	३.१६**		
१७. प्रति व्यक्ति प्रशासन पर व्यय (रुपये)		१.५०*	१.७०	२.१६**		

आँकड़े १९५१-५२ के हैं।

** आँकड़े १९५८-५९ के हैं।

† संशोधित अनुमान।

२.१ योजना में निर्धारित धन राशि

(लाल हूँ)

विकास का विभाग	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१	२	३	४
(१) राज्य योजना	२७२८७०	१०५२७.२६	२३६००.००
(क) कृषि एवं सामुदायिक विकास	३५२.१०	१७०२.५७	३६३०.००
(ख) सिवाई	७२२.६८	२८१३.२८	८९४५.००
(ग) विद्युत्	३६७.१०	१९९९.५१	३५००.००
(घ) उत्तोग एवं व्यापार	३८५०	५७७.२१	८९५.००
(ङ) प्रातापात्	५७२.६५	९४१.५०	१३००.००
(च) समाज सेवाएं	६७५.५८	२३९१.९०	४५९०.००
(झ) विद्यिव	—	१०१.२९	१६०.०८
(ञ) प्रवातांत्रिक विकेन्द्रीकरण	—	६४.९०	५८०.००
(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं	३७२१.५६	७३३.१९	—
(३) राजस्थान नहर	—	१५००.००	£
कुल योग (१, २ और ३)	६४५०.२६	१२७६०.४५	२३६००.००

† १९५६-५७ के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

कुल योग में सम्मिलित नहीं है।

£ प्रावधान सिवाई के अन्तर्गत है।

२. योजना

२.२ योजना में व्यय

(लाख रु०)

विकास का विभाग	प्रथम योजना		द्वितीय योजना	
	१	२	३	४
(१) राज्य योजना		२१४०.३८		१०२७४.१५
(क) हृषि एवं सामुदायिक विकास		२८३.८३		२२१३.२४
(ख) सिचाई		५६३.६३		२५३०.१८
(ग) विष्ट्		१०४.६४		१५१४.१७
(घ) उद्योग एवं खनिज		३२.३३		३३८.१३
(ङ) पातालात		९१८.८१		१००७.६१
(च) समाज सेवाएं		६३६.८४		२४३१.२१
(छ) विविध		—		११९.०३
(ज) प्रजातांत्रिक विकासीकरण		—		११९.५८
(२) केन्द्रीय सरकार हारा प्रस्तावित योजनाएं		३२७४.०५		८७८.००
(३) राजस्थान नहर		—		१२२०.८२
कुल योग (१, २ और ३)		५४१४.४३		१२३७२.९७

३. कृषि एवं सामुदायिक विकास
 ३.१ भूमि उपयोग
 (हजार एकड़ी)

विवरण	१९५१-५२		
	१	२	३
१. पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल (भू- लेखानुसार)	८४७०९	८४४०६	८४३००
(क) वास्तविक बोया यथा क्षेत्रफल	२३०१३ (२७.१७)	२८३०३ (३३.५४)	३११०४ (३६.७०)
(ख) पड़त भूमि	१४३९४ (१६.११)	१४७२१ (१७.४४)	१४०९८ (१६.७२)
(ग) कृषि अयोग्य भूमि	२२१९१ (२६.२०)	१६१४३ (१९.१२)	१४९८४ (१७.७७)
(घ) अन्य जीत रहित भूमि	२२२४७ (२६.२६)	२१७५८ (२५.७८)	२१२८२ (२५.२५)
(ङ) बत	२८६४ (३.३८)	३४८१ (४.१२)	२८३२ (३.३६)
२. दुपत्र क्षेत्रफल	१०९२	२७०३	२८१८
३. कुल बोया हुआ क्षेत्रफल	२४१०५	३१००६	३३९२३

कोलकाता में दिये गए अंक पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत हैं।

३. हृषि एव सामुदायिक विकास

३.२ मुख्य हृषि योजनाएँ

विवरण	इकाई	योजना काल	
		प्रथम	द्वितीय
१	२	३	४
१. नए हुए जोडे गए	सहवा	७०५०	४६७४९
२. हुए गहरे किए गए	"	१७७९	२९९७१
३. तालाबों को मरम्पत की गई	"	—	५५८
४. पन्न लगाए गए	"	३४८	८६१
५. रुट समाए गए	"	१०००	१४३२
६. जीतने योग्य बनाई गई भूमि हजार एकड़		११	११२
७. भूमि भरकरण	"	—	१८.८९
८. भूमि एकीकरण	लाख एकड़	+	१७.५२

३. कृषि एवं सामुदायिक वितरण

३.३ मुख्य कृषि योजनाएं (क्रमांक)

विवरण	इकाई	१९५१- ५२	१९५५- ५६	१९६०- ६१		
		१	२	३	४	५

१. राजाधानिक लाल वितरण	टन	३२४	३१३६	३२८००
२. दौल वितरण	लाल एकड़	---	१४.७०	४१.४०
३. कम्पोस्ट वितरण	लाल टन	०.१३	०.९२	१३.१४
४. हरी लाल वितरण	लाल एकड़	+	+	१.३०
५. कसली का संरक्षण	हजार एकड़	४८०	२७९	२९.२५

* मुख्य लाल स्थपतों में।

३. कृषि एवं सामुदायिक विकास

३.४ मुख्य फसलें-शेत्रफल

(हजार एकड़)

फलते	१९५५-५६ १९६०-६१†		
	१	२	३
१. साइरास	२४६७५	२७१३७	
(अ) भनाज	१७२८३	१९७६१	
बालरा	८९४८	११४१३	
चार	२८६३	२५३२	
गेह	२४०३	२६१२	
गवका	१३१५	१५९९	
जौ	१३७२	११६६	
अन्य सोडा अनाज	११३	११७	
चावल	१६९	२४२	
(ब) दाले	७३९२	७३७६	
चना	३२३५	३३९६	
तूर	३०	६२	
अन्य दाले	४१२७	३९६८	
२. व्यापारिक फलते			
तिक्कहन	१९८५	२०१५	
गंगा	६५	१०१	

वर्तमान फोटोकास्ट वर साधारित ।

३. इतिहासिक विकास

३.५ मुख्य फसलें-वर्तपादन

(हजार टक्के)

फसलें	१९५५-५६	१९६०-६१-	
	१	२	३
१. खाद्याम			
(अ) अनाज	४१७५	४४६२	
बाजरा	७७७७	७३२	
ज्वार	२२०	२९२	
गेहूं	९०७	९८६	
मक्का	५२४	६३५	
ची	५८०	५४८	
अन्य मोटा अनाज	२७	३६	
आबल	८६	६४	
(ब) दालें	१०५४	११६९	
चना	७०७	९०६	
तूर	४	४	
अन्य दालें	३४३	२५५	
२. घ्यावारिक फसलें			
तिलहन	२५२	१७०	
मओ	४५३	१७१	

+ अंतिम कोरकास्ट पर आधारित ।

३. कृषि एवं सामूहिक विकास

३.६. पशुपालन

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	
	१	२	३	४
१. पशुधन (लाखों मे)	२४६	३२४	..	
२. शिक्षितसालय	५७	५७	१०७	
३. डिस्पेलरी	८८	१३८	१४८	
४. कृत्रिम गर्भायात्रा केन्द्र	+	१	११	
५. प्राप्ति केन्द्र	+	६	७४	
६. चब्ब औपचालय	२	८	१३	
७. सामूहिक रोप निदारण केन्द्र	+	७	७	
८. गौद्याला	+	१०	३०	
९. गोमदन	+	२	४	
१०. भेड व ढान विकास केन्द्र	+	+	६३	
११. झन थेणीकरण एवं विद्यो केन्द्र	+	४०	७०	
१२. कुवकुट विकास केन्द्र	+	३	१६*	
१३. रिटरेट को रोकने के लिये इन्हेवज्ज्ञन लगाए (लाखों मे)	+	..	२८५१	

* कुवकुटविकास महाविद्यालय, बोकानेर स्थित एक कुवकुट विकास केन्द्र भी सम्मिलित है।

६ हिंदू एवं शास्त्राधिक विकास

३.७ सहकारिता

विवरण	इकाई	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५०-५१
	१	२	३	४
१. समितियां	संख्या	४२०८	८०७७	१७९७४
सहकारी कृषि				
समितियां	"	४३	९९	६६५
बिली समितियां	"	+	२	१०५
सेवा समितियां	"	+	+	३९४७
साधा समितियां	"	२५६९	११०१	७०१३
अन्य समितियां	"	८२९६	२८७५	६२४४
२. कुल सदस्य				
३. कार्यशाल पूँजी	लाख रु०	३४५.०५	६३५.७८	२६६७.२१*
४. कुल हिस्टोर्सपूँजी	"	५१.१०	९८.४४	४७१.६५**
५. व्हण दिवा गणा	"	११४.८१	३२६.९१	१७९४.५४**
६. अंत्र चतुर्ली	"	१०५.७२	२५५.०६	११५२.११**
७. भागतान तिथि पर				
बकाया न्दण	"	११.७२	५३.०३	१८०.६४*
८. देशीय गहकारी बंक संख्या		१२	१२	२८
९. प्रारंभिक भूमि				
बग्बक बंक	"	२२	२२	४५
१०. बेपरहाड़स	"	।	।	३२
११. घेर सहकारी इकाइ				
प्रशिक्षित किये	"	।	।	७०४३६*
१२. सहकारिता की परिधि में आये ग्राम	प्रतिशत	५	१६	५३
१३. सहकारिता की परिधि में ग्रामीण नन्हे संख्या	"	१५	५	२४

* जांकडे ६१ मार्च १९६१ के हैं।

** जांकडे १९५१-५० वर्ष के हैं।

* वर्ष १९५०-५१ के अस तक।

३. कृषि एवं सामुदायिक विकास

३.८ सामुदायिक विकास

विवरण	इकाई	१९५२-५३	१९५५-५६	१९५७-५८
	१	२	३	४
१. संष्ठ				
(अ) प्रथम स्टेज	संख्या	—	—	८४
(ब) द्वितीय स्टेज	"	—	—	५४
(स) सामुदायिक विकास*	"	८	१९	१
(द) राष्ट्रीय वित्तार सेवा*	"	—	३१	—
(न) पूर्व वित्तार	"	—	—	२१
२. विकास संजड़ों के भन्नतर्गत—				
(अ) (१) शेवफल	वर्गमील	४६६७	२५७०३	८९७७५
(२) राष्य के कुल सेव फल का प्रतिशत	प्रतिशत	३.५४	१९.४८	६५.७७
(ब) (१) ग्राम (२) राष्य के कुल ग्रामों का सेवफल	संख्या	१७९८	८६५	२३६९०
(स) (१) ग्रामीण (२) राष्य की कुल ग्रामीण जन संख्या का प्रतिशत	[प्रतिशत] जन संख्या लाखों में	५.२२	२५.१४	६८.८२
३. जन संख्याएँ	[प्रतिशत] लाख ह०	५.११	२६.५१	७४.४२
		४.८५	१३१.३४	५४८.६४

*ग्रामीण स्कौल

४ सिवाई

४.१ बृहत् सिवाई योजनाएः

विवरण	इकाई	राजस्थान नहर	राजस्थान मालदा नहर	(राजस्थान भाग के लिये)	चम्बल नहर*
			(राजस्थान भाग के लिये)		
१	२	३	४	५	६
१. नहर क्षेत्र					
(अ) कुल लाभांश्-					
स्थिर धोनपाल लाभ एकड़		८०	१२	१२	
(ब) कृषि योग्य लाभांश्वित		"	५०	९.२०	९.१२
(क) खेत्रफल जिसमें सिवाई होयी	"	३६.२९	५.७०	५.५०	
(द) द्वितीय योजना के अन्त तक सिवाई	"	—	२.१७	०.५७	
२. नहर					
(अ) मूलय नहर को सम्बाई	मील	४२५	५१	८९	
(ब) शाकाश्रों प्रशाखाओं को					
कुल सम्बाई	"	५०००	८५०	१४००	
(क) अधिकतम गहराई	फौट	..	१६	१०.५	
(द) अधिकतम चोड़ाई	"	..	६०	३११	
३. वित्तीय लागत					
(अ) कुल लागत	लाख रु	२१२८९.५५	२३८५.१६	१६४८.०८	
(ब) द्वितीय योजना के अन्त तक व्यय	,,	१२२०.८२	८५८.५४	१११३.७७	
(स) वित्तीय योजना में प्रस्तावित पन राशि	"	६३००.७०	६५.००	३८८.००	

*राणाधताप सामर दर्दि को घोषिकर

४ सिंचाई

४.२ योजना के अन्तर्गत सिंचाई कार्य

(हजार एकड़)

विवरण	विचित्र सेव			
	अनुमानित			
	लगात	समाप्ति	अवधि	
	लाल ८०	पर	१९५५-५६	१९६०-६१
	१	२	३	४
१. बहुउद्देशीय				
परियोजनाएं—				
(अ) भालडा	२३८५.१६	५७०.००	१४७.००	२४७.२९
(आ) चम्पल	१९६६.०८	१००.००	—	३६.१८
२. बड़ी एवं अन्य परियोजनाएं	२८८९.००	७३६.२८	५६.००	१०६.६८
३. लघु सिंचाई प्रोजेक्ट	२७६.३०	३३०.००	५६.००	१४५.९७
४. अभाव सेव योजनाएं	४८०.९८	१८९.७२	—	५२.३६
पोग	७९५९.५२	२५२३.००	२५९.००	५५९.४८

४. सिंचाई

४.३ सिंचाई-कार्यालय एवं साधनवार

(हजार एकड़)

विवरण	सिंचित क्षेत्रफल			
	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९	
	१	२	३	४
१. कुल सिंचाई-क्षेत्रवार	२८९३	३१३७	४०६७	
(अ) साधारण	२२५५	२९८४	३२०९	
(ब) गंगा	६२	६०	८६	
(च) कमास्त	२४३	३०१	३५६	
(द) अन्य	४३४	५९२	४५६	
२. वास्तविक सिंचाई-ताथमवार	२४८८	३३३५	३५७१	
(अ) महारौ	५५४	७०२	८१८	
(ब) गालाहा	२०३	४४०	७७४	
(च) कुप	१६८९	२१५४	१९४४	
(द) अन्य ताथम	४२	३९	३५	
३. पूर्ण अधिक वार सिंचित क्षेत्रफल	४०५	६०२	४१६	

५. विद्युत्

५.१ विद्युत्

विवरण	इकाई	१९५१	१९५५	१९६०	
		१	२	३	४
१. विजलीयर					
(अ) छोड़ल	संख्या	२७	३०	४७	
(ब) रटीय	संख्या	५	५	८	
२. लगे हुए कार-	किलोवाट में	१०८७१	३४९००	१०८९९२	
स्थानों की					
क्षमता*					
३. करघो भीर	संख्या	४२	६६	१३१	
गाँवों में विजली					
पहुचाइ पाई*					
४. ट्रान्सफोर्मर एवं					
सब-ट्रान्सफोर्मर					
लाईनें †					
(अ) १३२ किलो-	मील	—	—	२०२	
वाट लाईनें					
(ब) ६६ "	"	—	—	१४५	
(स) ३३ "	"	८६	८५	४८८	
(द) ११ "	"	१२०	१२०	२५२	
(इ) ११ किलोवाट से	"	—	—	८४	
३३ किलोवाट में					
परिवर्तन					
(फ) एल.टी.सी.इन	"	—	—	५०	
से ११ किलोवाट					
में परिवर्तन					
५. उत्तराखित	एक साल	५७.६२	५०.०८	११०.१७	
विज वी	किलोवाट पटे				
६. प्रति घण्टित	किलोवाट घटे	३.९९	३.९९	५.४७	
उत्पादित विजली					
७. उपभोग की	एक साल	४६.२२	४९.८९	८९.८४	
पाई कुल विजली	किलोवाट घटे				

* केवल राजकीय विद्युत् गृहों के प्रतिशत।

† आवधि कमज़ो १३५०-५१, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के हैं।

६. उद्योग एवं सहनिज
६.१ श्रीदोगिक योजनाएँ

विवरण	हकार्ड	१९५४-५५		१९५५-५६	
		१	२	३	४
१. सरकारी सहायता					
(अ) लादी एवं पाम उद्योगों को					
उद्योग सहायता	लाख रु०	४८४०	२८३.०८		
सहायता	"	२.२०	८६.४४		
(ब) गृह एवं सभु उद्योगों को					
उद्योग समानिकत व्यवित	संख्या	७८३	८२.१६		
लाख रु०		१६६	२१९०		
(स) बड़े उद्योगों को					
उद्योग स्थानिक किया	लाख रु०	+	८९.८२		
श्रद्धा दिया गया	"	+	५६.४५		
२. शाख करणा					
विक्री घर	संख्या	+	४८५		
रेले गृह	"	+	१३*		
निरीक्षण थवं स्टार्टिप्पा गृह	"	+	१४*		
शक्ति चालित करणे वितरण किए	"	+	३००*		
३. श्रीदोगिक वस्त्रयां	"	+	१४५		
४. श्रीदोगिक निर्दर्शन	"	+	५*		

*आकादे दर्द १९६०-६१ के हैं।

५. ये पूर्ण हो चक्की हैं और अन्य पर कामे प्रगति पर हैं।

६. उद्योग एवं लनिम

६.२ श्रीदोगिक उत्पादन

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९६०		
		१	२	३	४	५
१. पंजीयन फारसाने	संख्या	२४०	३६५	५५६		
२. मुह्य पंजीयन कारसाने						
(क) कपड़ा	संख्या	१२	१३	१८		
(ख) सोमेन्ट	"	२	३	२		
(ग) शब्दर	"	३	३	६		
(घ) दांच	"	१	१	१		
३. उत्पादन						
(क) पादी	मात्र वर्ग ग्राम	५८९	२७.२१	३७.८५		
(ख) कपड़ा	ल हप्पौड	१९६.३	१८७.८	१३९.४		
(ग) सूत	"	३१८.५	३७७.१	३०८.४		
(घ) सीमेन्ट	लाल टग	२.७	५.२	९.५		
(इ) शब्दकर्ड	जिार टग	८.२	१३.६	१२.८		
(च) शोशा	टन	१७०	५३५	६७२		

* आकड़े कमश्व: १९५२-५४, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के ने।

** आकड़े कमश्व: १९५१-५२, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के ने।

६.३ उनिज उत्पादन

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९५९		
		१	२	३	४	५
१. समस्त सार्वों में रोज़ापार	संख्या	१३३४९	५१२८६	१०१२४२		
२. समस्त उत्पा- दित खनिजों का विक्रय मूल्य	लाख रु.	३०४.५७	३६४.६५	४६२.११		
३. प्रमुख खनिजों का उत्पादन						
कोयला (सिंग- ताइट)	हजार टन	४५.२३	२८.९४	२४.४३		
फड़ाया लोहा	"	..	५६.५५	८४.२९		
मैग्नीज	"	१०.४६	२.१२	५.८३		
सुराम (कॉलेन्ट)	"	२.१५	३.०६	७.३३		
जहाता (कॉलेन्ट)	"	३.८४	४.८६	१०.६४		
जिमसम	"	३३०.६८	६३०.६९	७४१.६३		
अभ्रक	"	२७.५८	४९.५१	९०.६०		
सोय स्टोन	"	१५.५३	३३.३८	५२.३९		
चने का पद्धर (लीमेण्ट बनाने के लिये)	"	४६७.६१	७९७.०६	१४१७.३०		
चूने का पद्धर (चना बनाने के लिये)	"	६०.८५	६१.०१	१७३.७०		
झाइमैशनल स्टोन	"	४५०.८४	६२४.९५	२१४२.६९		
इमारती पद्धर	"	११०.००	५००.००	५५३.००		

७. सड़क प्रीर यातायात

७.१ सड़क एवं यातायात

विवरण	इकाई	१९५०-	१९५५-	१९६०-
		५१	५६	६१
१	२	३	४	५
१. सड़कें		मील	११३७१	१३९८८
(अ) नागपुर योजना वर्गीकरण				
राष्ट्रीय राज पथ	"		३७६	६२०
राजस्थीय राज पथ	"		२३६३	२३१०
मुख्य ज़िला सड़कें	"		२४८५	२२०६
ध्यय ज़िला सड़कें	"		५१०८	६४४३
प्राम्य सड़कें	"		३६५६	४३८५
(ब) सतह वर्गीकरण				
सीमेंट की सड़कें	"	१४	१२	१४
ठामर की सड़के	"	६२१	११३६	४६१५
आद पक्की सड़कें	"	२१५७	३५०१	३६२४
फल्ची सड़कें	"	२०४१	२८००	३१९९
मोतभी सड़कें	"	५०३०	५७२१	५३८३
२. प्रति १००० वर्ग मील सड़कें	"	८६	१०३	१२७
३. प्रति १००० वर्ग मील पक्की सड़के	"	२७	४१	६३
४. प्रति साल जन भव्यता पर सड़कों का भौतिक	"	७१	८७	१०५
५. राज्य में गुल मोटर गाड़ियाँ†	संख्या	१८०७	१७८३३	१२०७४

† यह वर्गीकरण १९५५ में अपनाया गया था।

‡ आकड़े सन् १९५१, १९५५, १९६० से संबद्ध हैं।

C. समाज सेवाएं

D. शिक्षण संस्थाएं

(संस्था)

विवरण	१९५०-५१			१९५५-५६			१९५९-६०		
	१	२	३	४	५	६	७	८	९
१. विद्यविद्यालय		१	१	१					
२. उच्चतर माध्यमिक तकनीकी शिक्षा सोबै		--	--	--					२
३. सामाज्य शिक्षा हेतु कालेज		२७	५२	५६					
४. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज		८	१३	२०					
५. विशेष शिक्षा हेतु कालेज		५	१७	१२					
६. उच्च-उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय		१७५	२७३	४५८					
७. श्रीगिरि बृनियादी स्कूल		--	१४	६२					
८. मिडिल स्कूल		७१२	८९३	११९४					
९. जूनियर बृनियादी स्कूल		+	६०५	१६०१					
१०. प्रारम्भिक स्कूल		४३३६	७५८४	११२९९					
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल		१६	११	५१					
१२. विशेष शिक्षा हेतु स्कूल		७२६	१३८०	१३३९					
योग		६०२६	१०८५१	१८३०२					

८. समाज सेवा

८.२ विश्वण संस्थाओं में विद्यार्थी

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५१-६०
	१	२	३
१. विश्व विद्यालय	७०	५१८	५५३
२. सामाज्य शिक्षा हेतु कालेज	१४८४६	३११८१	३५३२७
३. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	२१२३	४३४९	५०३३३
४. विशेष शिक्षा हेतु कालेज			२२१३
५. उच्चतर माध्यमिक एवं अनु- ज्ञानीय विद्यालय	५९६२६	१०३३४३	७४१५०
६. हाई स्कूल			९६४७६
७. सीनियर बुनियादी स्कूल	११४४५२	१७४००६	१५६६६
८. मिडिल स्कूल			२७२८६०
९. जूनियर बुनियादी स्कूल	२२८११६	३९६२२१	१८५९४४
१०. प्रारम्भिक स्कूल			६३४३३७
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	१२०१	१५९५	५८०३
१२. विद्याव शिखा हेतु स्कूल	२५८५८	३४३८१	७६४२८
योग	४४७११६	७४५६७४	१३९९७३९

d.३ शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक

(संख्या)

दिवारग	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५९-६०
१	२	३	४
१. विश्व विद्यालय	७	१८	२१
२. सामाज्य शिक्षा हेतु कालेज	५८४	१३७४	१८०१
३. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	१४७	२३५	४८२
४. विश्वेष शिक्षा हेतु कालेज	८२	११७	२१५
५. उत्तरवर्ती माध्यमिक एवं बहुउद्देशीय विद्यालय	२२५२	४४६३	८२४५
६. हाई स्कूल			
७. स्त्रीनियर युनियनी स्कूल	६२९०	८८७९	६०७
८. मिडिल स्कूल			११६६५
९. जूनियर युनियनी स्कूल	+	१५७१	५१६३
१०. भारतीयक स्कूल	७५०४	१३१७३	११९१६
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	९४	२००	५८४
१२. विश्वेष शिक्षा हेतु स्कूल	२८१	५४३	६१७
योग	१७१४१	३०१७१	४९३२३

C. समाज सेशन

C.४ चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

दिवरण	इकाई १९५२ १९५५ १९६०			
	१	२	३	४
१. संस्थाएँ				
चिकित्सालय-एलोपेंसिक **	संख्या	२३४	२७५	३१२
आयुर्वेदिक	"	१३	१३	१८
ओषधालय-एलोपेंसिक **	"	१५८	२४७	३१०
आयुर्वेदिक	"	३३७	४८२	६१५
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	"	-	-	१४३
भागीदार एवं विद्युत स्वास्थ्य केन्द्र	"	३६	५१	६१
परिवार नियोजन केन्द्र	"	-	७	७८
२. कार्य कर्ता				
डाक्टर	"	७०२	७८५	१३३७
नसिय स्टाफ @	"	१७९१	२०६०	३५८५
मिड वाइफ्स	"	३२२	२४०	१००२
स्वच्छता निरीक्षक	"	९७	१११	१२६
हैल्प विनिटर	"	२५	३२	२०६
घरस्थानिटर	"	२९८	३२८	११२
वैद्य	"	१६२	५००	११८८
हकीम	"	१३	२०	३३

@ तिस्टर, मेर्टन्स, स्टाफ जॉन एवं काम्याड्वरों सहित ।

आपाड़े पर्यं १९६०-६१ के हैं ।

सार्वजनिक एवं निम्नी संस्थाओं सहित ।

८. समाज शेषार्थ

८.४ चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (कर्मः)

विवरण	इकाई १९५२ १९५५ १९६०			
	१	२	३	४
*३. शैश्वार्थ	संख्या ५७७७	६३२९	८१६६	
*४. रोगी जिनका उपचार किया				
चिकित्सालय में भरती करवे आउट डोर में	लाख १.०४६ १.२५६ २.०४			
	लाख ९६.८५ १३९.१६ २०६.०४			
*५. प्रति दस लाख जन संख्या पर चिकित्सा सुविधार्थ				
चिकित्सालय	संख्या १५	१७	१७	
बौद्धशालय	" ३१	४३	७३	
बास्टर	" ४४	४६	६७	
रोगी शव्यार्थ	" ३६१	३७२	४०८	
६. जल वितरण				
लाभान्वित कस्बे	" ५	५	२७	
लाभान्वित जम संख्या	लाख ६.६३	६.६३	९.७३	

आयुर्वेदिक सुविधाओं सहित।

आयुर्वेदिक सुविधाओं के अतिरिक्त।

६. समाचार सेवाएं

८.५ गृह निर्माण

विवरण	योग्यता काल		
	इकाई	प्रथम	द्वितीय
१	२	३	४
१. औद्योगिक असिक्क गृह निर्माण योजना			
(अ) कुल व्यय	साल द.	२.४९	८७.४९
(आ) बनावे गए गृह	संख्या	.	११२२
२. काम-आमदानी वालों के लिये गृह निर्माण योजना			
(अ) वितरित ऋण	साल द.	६२.८१	१७१.२९
(आ) बनाए गए गृह	संख्या	२०२	४०८१
३. माध्यमिक आमदानी वालों के लिये गृह निर्माण योजना			
(अ) वितरित ऋण	साल द.	+	५७.६३
(आ) बनावे गए गृह	संख्या	+	११५
४. गंदी बस्तियों का सुधार			
(अ) वितरित ऋण	साल द.	+	२.७३
(आ) बनाए गए गृह	संख्या	+	१२०
५. प्रासोन गृह योजना			
(अ) वितरित रकम	साल द.	+	३६.६५
(आ) लाभान्वित प्राप्त	संख्या	+	३००

८. उत्तराखण्ड

८.६ घम एवं रोडगार

(संख्या)

विवरण	१९५५-५६	१९५०-५१
	१	२
१. कास्थाण केन्द्र	१२	२५
अ अधीनी	—	१
ब अधीनी	—	८
स अधीनी	१२	८
२. राजकीय भोजन योजना		
(a) कार्यशील केन्द्र	..	८
(b) सामान्यित व्यवस्था	..	१२८०००
(c) औषधालय	..	६
३. एम्बलायरेट एवं बेन्ज	७	१८
४. लाइब रजिस्टर पर व्यक्ति	१७२३५	४०४९१
५. एम्बलायरेट एवं बेन्ज द्वारा व्यक्तिमूली की रोडगार विलापा गया	४२२९	११९२५
६. मम्पूर संघ	१५०	२७४

८. समाज सेवाएँ

८.७ समाज कल्याण एवं पिछड़ी हुई जाति कल्याण

(संख्या)

विवरण	१९५०-	१९५५-	१९६०-		
	५१	५६	६१		
	१	२	३	४	
१. स्कूल		५२	१३०	१४०	
२. छात्राचास			१०	२२	४४
३. छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियाँ			१४८७	१७५४३	१८१६०
४. परिवारों को सहायता—					
(अ) पुनर्वास के लिए		११५	१५११	१२३	
(ब) सिवाई के कुएं बनाने के लिये		१६३१	२८०५	१०९७	
(स) पानी पीने के कुएं बनाने के लिये	+	८२	७५६		
५. गृह उद्योग केन्द्र		७	३४	८४	
६. खोपयालप	+	११	११		
७. संस्कार केन्द्र	+	३४	५१		
८. सामाजिक शिक्षा केन्द्र*	५	१९७	२३९		
९. आधाय गृह	+	+	३		
१०. जिला आधाय गृह	+	+	११		
११. भिजारी गृह	+	+	२		
१२. कल्याण विस्तार परियोजनाएँ	+	८	३३		

* आंकड़े २३२ में से १५५ पंचायत समितियों से प्राप्त गृहनाम के आधार पर हैं।

१. विविध

६.१ प्रशिक्षण-एवं शिक्षा

(संख्या)

विविध	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	
	१	२	३	४
१. हृषि शिक्षा				
(अ) कालेज	१	२	२	
(आ) प्रशिक्षण केन्द्र (प्राम सेवक)	+	४	५	
२. पशु चिकित्सा कालेज	+	१	१	
३. चिकित्सा संस्थाएं				
(अ) मैदिकल कालेज़	१	१	२	
(आ) आपूर्वदिक कालेज	१	१	२	
(ई) प्रशिक्षण केन्द्र	५१	
४. इन्डोनियारिंग संस्थाएं				
(अ) कालेज	१	२	२	
(थ) पौलोटेक्निक	+	१	६	
५. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	+	२	६	
६. औद्योगिक उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र	+	+	४७	
७. वन प्रशिक्षण संस्थाएं	+	४	४	
८. राहगारी प्रशिक्षण केन्द्र	+	१	३	